रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L. –33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2013/श्रावण 7, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91
No. 123] DELHI, MONDAY, JULY 29, 2013/SHRAVANA 7, 1935 [N.C.T.D. No. 91

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जुलाई, 2013

फा.सं. (6)/डी.सी.एफ./टी. सी./उत्तरी/डी.पी.टी.ए./बी.एस./13–14/3517-25.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोरीडोर मुकरबा चौक से वजीराबाद चौक के बीच एसएच, सी/ओ समानांतर रोड, जोन पी-1 में नाले के दूसरी तरफ, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक तक निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 9.72 हैक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	कोरीडोर मुकरबा चौक से वजीराबाद चौक के बीच एसएच, सी/ओ समानांतर रोड, जोन पी -1 में नाले के दूसरी तरफ, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक तक	9.72	179	1790
		कुल योग	179	1790

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 57,88,860/-रुपये (सतावन लाख अट्ठासी हजार आठ सौ साठ रूपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	1790	रु.- 57,88,860/-	उप-वन संरक्षक (उत्तरी)

(ख) कमला नेहरु रिज क्षेत्र की वन भूमि में 50% प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा।

(ग) उपभोगी संस्था 50% सड़क के दोनों और प्रस्तावित हरित पट्टी में प्रतिपूरक वृक्षारोपण करेगी तथा उनका पाँच वर्षो तक रखरखाव करेगी।

(घ) उप-वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।

(ङ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 29th July, 2013

F.No. (6)/DCF/TC/NORTH/DPTA/B.S./13-14/3517-25.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 9.72 ha as detailed below for construction of Corridor between Mukarba Chowk to Wazirabad Chowk SH. C/o Parallel Road in Zone P-1 on other side of Nallah from Sanjay Gandhi Transport Nagar to Wazirabad Chowk by Public Works Department, Govt. of NCT of Delhi, from the provision of sub-section (3) of Section 9 of the said Act.

Sl.No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	Corridor between Mukarba Chowk to Wazirabad Chowk SH. C/o Parallel Road in Zone P-1 on other side of Nallah from Sanjay Gandhi Transport Nagar to Wazirabad Chowk	9.72	179	1790
		Total	179	1790

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

(a) The application shall make an advance deposit of an amount of Rs. 57,88,860 (Rupees Fifty Seven Lakh Eighty Eight Thousand Eight Hundred Sixty Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
I	1790	57,88,860	DCF (North)

(b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 50% compensatory plantation is done by the User Agency at proposed green belt on either side of the road and 50% by the Forest Department at Kamla Nehru Ridge.

(c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the PWD to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCFs.

(d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (North).

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SANJIV KUMAR, Secy.

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जुलाई, 2013

सं.एफ 3(11)/वित्त (क0 एवं स्थाप0)/2009–10/डीएसVI/573.—दिल्ली मूल्य एवं कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप–धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर

आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम श्री / श्रीमती / कु0	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1	विजेन्द्र सिंह रावत, (दानिक्स)	31-05-2013	विशेष आयुक्त मूल्य संवर्धित कर
2	पी. एस. जानी, (दानिक्स)	10-06-2013	अतिरिक्त आयुक्त मूल्य संवर्धित कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेश पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th July, 2013

No.F.3(11)/Fin(T & E)/2009-10/dsVI/573:—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

S.No.	*Name of the Officer Sh./Smt./Ms.*	*Date of physical joining in DT and T*	*Appointed as*
01.	Sh. Vijendra Singh Rawat, DANICS	31.05.2013	Special Commissioner, Value Added Tax
02.	Sh. P.S. Jani, DANICS	10.06.2013	Addl. Commissioner, Value Added Tax

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. -VI (Finance)

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जुलाई, 2013

सं.फा. 7(433)/नीति–II/वैट/2012/530–541.–दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 70 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी व्यापारियों के लिए (सिवाय कर मुक्त वस्तुओं का व्यापार करने वाले), जिनकी वर्ष 2011–12 में सकल बिक्री रुपये 10 करोड़ है या भविष्य में कोई अन्य तिथि जब व्यापारी की सकल बिक्री की न्यूनतम सीमा ≥ रुपये 10 करोड़ हो जाये, अधिसूचना संख्या सं. फा. 7(433)/नीति–II/वैट/2012/180–190 दिनांक 17.05.2013 के द्वारा, फार्म टी–2 अधिसूचित किया गया था । जिसमें कि वस्तुओं के दिल्ली की सीमा में वास्तविक आगमन से पूर्व, ऑन लाइन सूचना से संबंधित थी ।

जबकि, इस अधिसूचना के कार्यान्वियन के दौरान संबंधित हितधारकों के द्वारा फार्म टी–2 भरने की प्रक्रिया में कठिनाइयाँ व्यक्त की गई । इसलिए, माल प्राप्ति के बारे में जानकारी की मांग की प्रक्रिया में सुधार करने के सुझाव सभी व्यापारियों से, दिनांक 30.09.2013 तक आमंत्रित किए जाते हैं ताकि माल दिल्ली के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, फार्म टी–2 के भरने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके ।

अब, इसलिए, प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, उक्त अधिसूचना तथा फार्म टी–2 के भरने की अन्य अधिसूचनाओं को अगले आदेश तक स्थगित करता हूँ ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 29th July, 2013

No.F.7(433)/Policy-II/VAT/2012/530-541.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (3) of section 70 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, Form T-2 was prescribed for dealers (except the dealers exclusively dealing in tax free goods) whose gross turnover exceeded Rs. 10 crore during the year 2011-12 or any future date on which the dealer attains the lower limit of GTO of Rs.10 Cr., vide notification No. F.7(433)/Policy-II/VAT/2012/180-190 dated 17.05.2013 to file online information on the goods being imported, but before entry of such goods, into the Territory of Delhi;

However, during implementation of the said notification, concerned stakeholders have made several representations expressing difficulties in the procedure of filling the T-2 form in the manner notified. Hence, to improve the process of seeking of information regarding receipt of goods, suggestions are invited from all dealers till 30-9-2013 on how to streamline the process of filing of information in Form T-2 by all VAT dealers, before the goods enter the territory of Delhi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the above said provisions, I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, do hereby keep the said notification, and other notifications relating to modalities concerning filing of Form T-2, in abeyance till further orders.

This notification shall come into force with immediate effect.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax

3332 GE/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.